

**SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998**  
**IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)**

Case No..... Complaint or report made on .....

Name and address of the Complainant.....

श्री. का. गुप्ता  
 नायिक जजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
 सिविल कोर्ट  
 गोंडा

श्री. सु. गोहर

Name, parentage, caste and address of accused

① अनुप सो. नाथुराम पाव शिवर R/o चितौरा PS गोंडा

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission


आप पर आरोप है कि दिनांक 28/10/17 मुकाम  
 चितौरा PS गोंडा पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने  
 आधिपत्य में 22 लीटर/पोव/बोटल डेरी शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।


ऐसा करके आपने आबकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय  
 अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। यूना दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

  
 नायिक जजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
 सिविल कोर्ट  
 गोंडा

  
 नायिक जजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
 सिविल कोर्ट  
 गोंडा

अनुप कुमार



// निर्णय //

(आज दिनांक 8-11-19 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।

03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 500 शब्दों में पैन्थ को ५५५५ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर ०७ का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

04. जप्तशुदा सम्पत्ति 22 स्क्वायर/पाव/बोतल शराब शराब मुख्यत्वा एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार न्यायालय के आदेश अपील न्यायालय के आदेश का

